

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं० :-2/अ०प्र०-07-06/2022

1604

/पटना, दिनांक :- 17-7-23

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 2382 दिनांक 09.09.2022 के माध्यम से श्री संजय कुमार राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज-1 के विरुद्ध 1,04,04,433/- रु० के प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड संख्या-43/2022 दिनांक 26.08.2022 धारा-13(2) सह-पठित धारा-13(1)(बी) भ्र०नि०अधि०-1988, (संशोधित अधिनियम-2018) दर्ज किये जाने की सूचना प्रतिवेदित की गयी।

2. मामले के समीक्षोपरान्त श्री राय, कार्यपालक अभियंता को विभागीय अधिसूचना संख्या-1711 सह-पठित ज्ञापांक-1712 दिनांक 10.10.2022 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप पर श्री राय, कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 277 अनु० दिनांक 31.01.2023 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

3. इस प्रसंग में श्री राय के आवेदन दिनांक 17.02.2023 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में आय से अधिक पायी गयी संपत्ति के संबंध में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया कि यह संयुक्त परिवार की संपत्ति है तथा उनकी पत्नी एवं पुत्री द्वारा निजी आय से अर्जित की गयी है।

4. श्री राय के स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री राय द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई अभिलेखीय साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही नगद संपत्ति (राशि), घोषित संपत्ति विवरणी में अंकित विभिन्न वित्तीय संस्थानों में निवेश से इतर पाये गये निवेश के कागजात के संबंध में कोई स्पष्ट एवं साक्ष्य समर्थित तर्क इनके द्वारा नहीं दिया गया।

5. उक्त के आलोक में श्री राय को आरोप पत्र में उल्लेखित आरोपों के संदर्भ में बिन्दुवार स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित एक पक्ष के अंदर समर्पित करने का निदेश विभागीय पत्रांक 764 दिनांक 12.04.2023 द्वारा दिया गया। वांछित स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण श्री राय को विभागीय पत्रांक 1164 दिनांक 11.05.2023 द्वारा अंतिम रूप से स्मारित करते हुए तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया।

6. श्री राय से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण ससमय प्राप्त नहीं होने के कारण सम्यक समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की गहन/विस्तृत जाँच के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-17 के संगत प्रावधानों के तहत श्री राय, कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

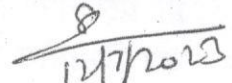
7. अतएव श्री संजय कुमार राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज-1 सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री शत्रुंजय कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

8. श्री संजय कुमार राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल किशनगंज-1 सम्प्रति निलंबित से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति स्वयं उपस्थित हो।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार एवं मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(संजय दूबे)
विशेष सचिव

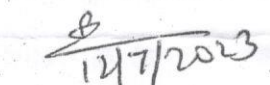
ज्ञापांक :-2/अ0प्र0-07-06/2022

/पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :-आरोप पत्र/साक्ष्य एवं संगत कागजात की प्रति के साथ मुख्य जाँच आयुक्त बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथ कार्यवाही अभिलेख सरकार को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :- यथोक्त।

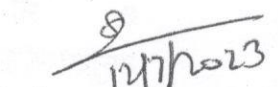

विशेष सचिव

ज्ञापांक :-2/अ0प्र0-07-06/2022

/पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :-आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री शत्रुंजय कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री संजय कुमार राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज-1 सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय :- अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :- यथोक्त।


विशेष सचिव

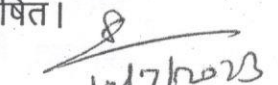
ज्ञापांक 2/अ0प्र0-07-06/2022

1604

/पटना, दिनांक :-

17-7-23

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वि (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव